**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1223**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अधीन नियम बनाया जाना**

**1223. श्री पी. राजीव:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या सरकार ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 हेतु नियम बनाने में विलंब कर दिया है;

(ख) : यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) : सरकार इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए क्या-क्या कदम उठायेगी; और

(घ) : कितनी मुनासिब समयावधि में नियम बना लिये जायेंगे?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) से (घ) : महिलाओं का कार्य स्‍थल पर लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को 09 दिसंबर, 2013 से लागू कर दिया गया है । महिलाओं का कार्यस्‍थल पर लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम, 2013 को 09 दिसंबर, 2013 को भी अधिसूचित कर दिया गया है । इस अधिनियम में सभी महिलाओं को उनकी आयु अथवा रोजगार के स्‍तर को ध्‍यान में रखे बिना शामिल किया गया है और यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, भले ही वह संगठित हों अथवा असंगठित, दोनों के सभी कार्यस्‍थलों पर यौन उत्‍पीड़न से उनको संरक्षण प्रदान करता है ।

अधिनियम में आंतरिक शिकायत निवारण समिति (आइसीसी) तथा स्‍थानीय शिकायत निवारण समिति (एलसीसी) के रूप में तंत्र की परिकल्‍पना की गई है । 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सभी कार्यस्‍थलों पर आईसीसी गठित करने के लिए अधिनियम में अधिदेश दिया गया है । 10 कर्मचारियों से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कार्यस्‍थलों पर शिकायत अथवा जब शिकायत नियोक्‍ता के विरूद्ध हो, शिकायत की जांच एलसीसी द्वारा की जाएगी। अधिनियम प्रत्‍येक नियोक्‍ता पर ऐसा वातावरण तैयार करने का उत्‍तरदायित्‍व डालता है जो यौन उत्‍पीड़न से मुक्‍त हो। इसके तहत, नियोक्‍ता से इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में कर्मचारियों में संचेतना के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं तथा जागरूकता विकास कार्यक्रमों का आयोजन अपेक्षित है ।

\*\*\*\*\*